छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण कमांक 330/2007</u>

1. **श्री हरकिशोर दास,** - *शिकायतकर्ता*
समलाई गुड़ी, पं0 चिरंजीव दास मार्ग,
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *अनावेदक*
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 31 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री हरकिशोर दास ने दिनांक 07.06.2006 से 12.10.2006 तक छः आवेदन प्रस्तुत किये, किन्तु उन्हें समयावधि में जानकारी प्रदान नही की गई और शुल्क भी चालान से ही जमा कराने के लिए बाध्य किये जाने के कारण इन बिन्दुओं पर असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 23 एवं 24 मई, 2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अंतिम सुनवाई के दिवस शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे तथा उन्होंने फैक्स द्वारा लिखित तर्क भेजे एवं अस्वस्थता के कारण उपस्थित नही होना बताया है । प्रकरण में अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, इसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 14.05.2008 को प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में अधिकांश जानकारियाँ समयावधि में उपलब्ध करा दी गई है, किन्तु कुछ जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नही होने से उपलब्ध नही कराई गई । प्रकरण में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं चालान से आवेदन स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है तथा जिला पंचायत में एमपीटीसी की रसीद काटना नही बताया है, जबकि नगद में राशि जमा करने की व्यवस्था कराना चाहिए, अतः इस संबंध मं उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया जाता है । प्रकरण में सुनवाई दिनांक को 84 पृष्ठों की जानकारी समक्ष में देने के लिए लाये थे, किन्तु शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहने के कारण नही दी जा सकी, अतः निर्देश दिये जाते है कि शिकायतकर्ता को यदि अभी-तक जानकारी नही दी जा सकी हो तो उन्हें एक सप्ताह में निःशुल्क प्रदान की

जावे । प्रकरण में कुछ जानकारी अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, धरमजयगढ़ के यहाँ उपलब्ध थी, उसके बारे में उत्तर दिया गया है कि शिकायतकर्ता की एक अन्य शिकायत की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा दस्तावेज बुलाया जाकर के कारण वहाँ भेजे जा चुके है, अतः उससे संबंधित दस्तावेज देना संभव नही है । शिकायतकर्ता भी वह दस्तावेज कुछ शिकायत में बयान के लिए मॉग रहे हैं, किन्तु उन्हें अपना बयान देते समय यह उल्लेख करना चाहिए था कि वह रिकार्ड जन सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नही है तथा ब्यूरो में ही उपलब्ध है । अतः उस रिकार्ड को दिया जाना संभव नही होने से आयोग स्तर पर अभी इस संबंध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक नही है । शिकायतकर्ता का भ्रष्टाचार को रोकने संबंधी जो मूल उद्देश्य है, वह भी अब आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो की जांच से पूर्ण हो सकता है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा एक तीन सदस्यी जांच समिति बनाई गई थी, उसका जांच प्रतिवेदन भी शिकायतकर्ता द्वारा चाहा गया है, इस संबंध में बार-बार लिखे जाने के बावजूद सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जांच प्रतिवेदन नही भेजा गया है, इस कारण नही दिया जाना बताया गया है । चूंकि इस समिति को गठित किये हुये दो वर्ष से अधिक समय हो गया है और उनके द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन नही सौंपा गया है, अतः इस संबंध में उनकी लापरवाही और मिलीभगत होने की आशंका हो सकती है, अतः प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देशित किया जाकर अधिनियिम की धारा-20(2) के अन्तर्गत अनुशंसा की जाती है कि समिति के सदस्य कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायगढ़, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायगढ़ एवं उप अभियंता, जिला पंचायत, डीआरडीए, रायगढ़ तीनों पदों पर पिछले दो वर्ष में कार्यरत रहे, अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा उनसे अब जांच प्रतिवेदन शीघ्र पूर्ण कराया जाकर जिला पंचायत द्वारा प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को एक सप्ताह में निःशुल्क उपलब्ध कराया जावे । प्रकरण में भारत सरकार से प्राप्त एक पत्र नस्ती से गायब होना बताया गया और मंत्रालय की नस्ती में भी उपलब्ध नही होना बताया गया है, इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि उसे ढूँढकर अथवा जहाँ से भी प्राप्त हो, प्राप्त किया जाकर उसे 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जावे । चूंकि जानकारी नही देने में जन सूचना अधिकारी की कोई त्रुटि या दुर्भावना नही थी और उनके द्वारा पर्याप्त प्रयास किये गये, अतः उनके विरूद्ध जारी शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। किन्तु विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत जिला पंचायत की ओर से राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ता को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त